प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय,
दिनांक–26.09.2023 (सं0–420)

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी शाखा (एन0बी0एफ0सी0)

दर्ज काण्ड

वर्ष 2011 से माह–सितम्बर 2023 तक बिहार राज्य के विभिन्न जिलों (आर्थिक अपराध इकाई सहित) में **गैर बंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs)** के विरुद्ध **कुल–288** कांड दर्ज किये गये हैं, जिनमें वर्तमान में 173 कांड अनुसंधान अन्तर्गत है, 106 कांडों में अनुसंधान पूर्ण करते हुए आरोप पत्र समर्पित तथा 9 कांडों में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विगत वर्षो के दर्ज काण्डों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **गैर बंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs)** के विरुद्ध सबसे अधिक काण्ड पटना प्रमण्डल, तिरहुत प्रमण्डल, पूर्णिया प्रमण्डल, दरभंगा प्रमण्डल तथा मगध प्रमण्डल के जिलो में दर्ज हुए हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (NBFCs) बिहार के आम लोगो के करीब करोड़ो से अधिक रुपये जमा करा कर फरार हो चुकी हैं। चूँकि सभी कम्पनियों के कारोबार भारत के अन्य राज्यों में भी थें, इस कारण अन्य राज्यों में तथा केन्द्रीय जाँच एजेंसियो द्वारा भी काण्ड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

प्रशिक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के विरुद्ध दर्ज काण्डों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को आर0बी0आइ0 के सहयोग से **बेतिया/पटना/दरभंगा/बोध गया एवं बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में प्रशिक्षण** दिया गया है।

समीक्षा

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के विरुद्ध दर्ज काण्डों की माह–मई एवं जून 2022 में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक(मुख्यालय)–सह–नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा की गई तथा काण्डों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया। तदोपरान्त पुनः सितम्बर 2022 तथा अगस्त 2023 में काण्ड के अनुसंधानकर्ताओं के साथ काण्ड की समीक्षा की गई । इस अंतराल में नवम्बर 2022 मे अपर पुलिस महानिदेशक के द्वारा भी काण्डों के त्वरित निष्पादन हेतु VC के माध्यम से सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा की गई तथा आवश्यक निदेश दिये गयें।

काण्डों की समीक्षा का सकारात्मक परिणाम निम्न प्रकार हैः–

I. 09 काण्डों में 22 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किये गये हैं जिनमें पूरक अनुसंधान जारी है।
II. 02 काण्ड में अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्र समर्पित किया गया है।
III. 03 काण्डों में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
IV. दर्ज लंबित काण्डों में 10 अभियुक्त रिमाण्ड किये गये हैं।
V. दर्ज लंबित काण्डों में वांछित 15 अभियुक्तों के विरुद्ध वारण्ट प्राप्त किया गया है।
VI. दर्ज लंबित काण्डों में वांछित 08 अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार प्राप्त किया गया है।
VII. दर्ज लंबित काण्डों में वांछित 05 अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार का तामिला किया गया है।
VIII. दर्ज लंबित काण्डों में वांछित 11 अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जप्ती का तामिला किया गया है।
IX. दर्ज लंबित काण्डों में वांछित 11 अभियुक्तों के द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण/जमानत कराया गया है।

उन मुख्य कम्पनियों का नाम, जिनके विरुद्ध काण्ड दर्ज हैः–

1. "**स्वर्ण इण्डिया मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड**" के विरुद्ध बगहा/बेतिया/मोतिहारी/ मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में **10 काण्ड** दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कांड की गंभीरता को देखते हुए इकाई के द्वारा अनुसंधान का नियंत्रण किया जा रहा है जिसकी काण्डवार विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(क). दरभंगा नगर थाना कांड संख्या–244/20 में 08 प्राथमिकी अभियुक्त हैं जिनमें 03 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है तथा 02 को रिमाण्ड किया गया है।
(ख). मीनापुर (मुज0) थाना कां संख्या–77/21 कांड में 05 अभियुक्त हैं जिनमें 03 को अभियुक्त को रिमाण्ड किया गया है तथा 02 के विरुद्ध वारण्ट प्राप्त कर लिया गया है।
(ग). काजी मोहम्मदपुर (मुज0) थाना कांड संख्या–255/19 में कुल–11 अभियुक्त हैं जिनमें 3 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित है। 01 अभियुक्त जमानत पर है तथा शेष अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार हेतु न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित है।
(घ). सरैया (मुज0) थाना कांड संख्या–120/21 में कुल–07 अभियुक्त हैं जिनमें 01 के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं 03 अभियुक्तों को रिमाण्ड किया जाना है।
(ड.). रामनगर (बगहा) थाना कांड संख्या–98/21 में कुल–11 अभियुक्त हैं। 01 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित है तथा 02 अभियुक्तों को रिमाण्ड किया गया है।
(च). चकिया (मोतिहारी) थाना कांड संख्या–231/21 में कुल–09 अभियुक्त हैं। जिनमें 4 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित है। 02 अभियुक्तों को रिमाण्ड किया जाना है। 01 अभियुक्त जमानत पर है।
(छ). शिकारपुर (पश्चिम चम्पारण)थाना कांड संख्या–558/19 में कुल–21 अभियुक्त हैं। 01 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित है। 03 अभियुक्तों को रिमाण्ड किया जाना है।
(ज). बेतिया नगर थाना कांड संख्या–518/20 में कुल–22 अभियुक्त हैं। 02 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित है। 02 अभियुक्त को रिमाण्ड किया गया है।
(झ). बेतिया नगर थाना कांड संख्या–75/21 में कुल–20 अभियुक्त हैं जिनमें 01 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित है तथा 03 अभियुक्तों रिमाण्ड किया गया है।

(ञ). **बेतिया नगर थाना कांड संख्या–644/19** में कुल–15 अभियुक्त हैं जिनमें 06 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। 01 अभियुक्त को रिमाण्ड किया जाना है। मुख्य अभियुक्त अनिल कुमार चौधरी के विरुद्ध इश्तेहार प्राप्त है।

2. ''**अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड**,'' के विरुद्ध पटना जिला के शाहपुर एवं अन्य थानों में 20 से अधिक कांड दर्ज होने की सूचना है। मुख्य अभियुक्त **आलोक कुमार (निदेशक)** को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिन्हें प्रायः सभी काण्डों रिमाण्ड कर लिया गया है। इस कम्पनी के विरुद्ध ED द्वारा अभी तक **कुल 119 बैंक अकाउण्ट** को फ्रीज कराया गया है। इकाई के स्तर से **जिला पदाधिकारी, पटना को BPID Act- 2002 की धारा–4 एवं 5 के तहत सम्पत्ति जप्त करने एवं निवेशकां की राशि लौटाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है।**

3. ''**इण्डस वेयर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड**'' के विरुद्ध औरंगाबाद में 02, छपरा में 01, मुजफ्फरपुर में 01, पटना में 01, तथा अरवल में 01 कांड दर्ज है। कांड में वांछित अभियुक्त अरुनेश सीता, बाल चन्द चौरसिया तथा प्रिंस राणा, दूसरे राज्य में काराधीन हैं जिन्हें सम्बन्धित अनुसंधानकर्ता के द्वारा काण्ड में रिमाण्ड किया जाना है।

4. ''**पी0ए0सी0एल0इंडिया लिमिटेड**'' **(PACL)** के विरुद्ध पूर्णियाँ, पटना, छपरा, सिवान में 1–1 काण्ड दर्ज हैं जिनमें गुरुमीत सिंह को गांधी मैदान थाना कांड सं0–408/14 में रिमाण्ड कर आरोप पत्र समर्पित किया गया है। निर्मल सिंह भंगु (सी0एम0डी0) तथा सुखदेव सिंह डायरेक्टर के तिहाड़ जेल दिल्ली में काराधीन होने की सूचना है, जिन्हें रिमाण्ड किया जाना है। सेबी के द्वारा दिनांक–22.08.2014 को इस कम्पनी के विरुद्ध पारित आदेश के अनुसार इस कम्पनी के द्वारा पूरे देश मे **कुल 5.85 करोड़ निवेशकों** के **कुल 49,100 करोड़ (उन्चास हजार एक सौ करोड़)** जमा करा कर गबन किया गया है।

5. ''**प्रतिज्ञा हाउसिंग फाइनेंस एंव कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**'' के विरुद्ध कटिहार/सुपौल/पूर्णियाँ/किशनगंज तथा आर्थिक अपराध थाना में 01–01 कांड दर्ज है, जिनमें संबित बनर्जी, सोमा बनर्जी, श्रिया बनर्जी, के विरुद्ध इश्तेहार प्राप्त है। इस काण्ड मे आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–39/14 में ED द्वारा कटिहार एवं बांका एवं जलपाइगुड़ी (प0 बंगाल) जिले में कुल 2,47,88,514/- मूल्य के 10 प्लॉट जप्त किये गये हैं।

6. ''**प्रयाग इन्फोटेक लिमिटेड**'' के विरुद्ध सहरसा/सुपौल तथा पटना 01–01 कांड लम्बित हैं। इस कम्पनी के द्वारा पूरे देश मे **कुल 1.57 लाख निवेशकों** के **कुल 131.37 करोड (एक सौ इकत्तीस करोड़)** जमा करा कर गबन किया गया है।

.....इत्यादि

Bihar Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2002 (BPID Act-2002)

BPID Acts-2002 का अनुपालन की स्थितिः–

166 काण्डों में बी0पी0आइ0डी0 एक्ट की धारा का समावेश किया गया है तथा 166 काण्डों के अनुसंधानकर्ता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी बनाये गये है। अभी तक 21 काण्डों के अभिलेखों का स्थानान्तरण अभिहित न्यायालय (Designated Court) में कराया जा चुका है।

The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act- 2019 (BUDS Act-2019)

''अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम'' (The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act) 2019 की धारा–38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार से परामर्श के पश्चात बिहार सरकार द्वारा एतद् नियमावली अर्थात ''अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम'' (The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act) 2019 के अर्न्तगत नियमावली 2023 बनायी गई है।

''अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम'' (The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act) 2019 की धारा–7(1) द्वारा बिहार सरकार ने सचिव, वित्त विभाग (प्रभारी, सचिव, सांस्थिक वित्त निदेशालय) को इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकार के शक्तियाँ एवं कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकार अधिसूचित किया गया है।

अधिनियम की महत्वपूर्ण बातः–

धारा–7 उप धारा–3 के अधीन सम्पत्ति को कुर्क किये जाने का विधिक प्रावधान किया जाना है।

XXXXXX